Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **हनुमानगढ़ में नायब तहसीलदार व कानूनगो 7 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**

- **आरोपियों आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *27 अप्रेल बुधवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर हनुमानगढ़ इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते दरियासिंह नायब तहसीलदार एवं रेखराज कानूनगो, उप तहसील तलवाड़ा झील, तहसील टिब्बी, जिला हनुमानगढ़ को परिवादी से **7 हजार रूपये** की रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की हनुमानगढ़ इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि वसीयत के इंताकाल दर्ज करने की एवज में दरियासिंह नायब तहसीलदार एवं रेखराज कानूनगो, उप तहसील तलवाड़ा झील, तहसील टिब्बी, जिला हनुमानगढ़ द्वारा प्रति बीघा 4 हजार रुपये के हिसाब से **16 हजार रुपये** रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी **बीकानेर के पुलिस अधीक्षक श्री गगनदीप सिंगला** के सुपरविजन में एसीबी हनुमानगढ़ के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री तेजपाल** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **पुलिस निरीक्षक श्री सुभाष चंद** मय टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये दरियासिंह पुत्र श्री धर्माराम निवासी गांव मौमनवास, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़ हाल नायब तहसीलदार उप तहसील तलवाड़ा झील, तहसील टिब्बी, जिला हनुमानगढ़एवं रेखराज पुत्र श्री मानाराम निवासी वार्ड नं0 23, टिब्बी, जिला हनुमानगढ़ हाल कानूनगो, उप तहसील तलवाड़ा झील, तहसील टिब्बी, जिला हनुमानगढ़ को परिवादी से **7 हजार रूपये** रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपियों से पूछताछ तथा उसके आवास एवं अन्य ठिकानो पर तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।